न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 35 / 2023 बउनवानी मोहम्मद नईम बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0
पुत्र श्री मोहम्मद बुनियाद, नि0 जामा मस्जिद के पास मलारना डूँगर
GCMS No-2023/73

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.7.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही । लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 04.03.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. दिनांक 4.11.2020 को उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा जारी किये गये अन्य पिछडा वर्ग, ओबीसी प्रमाण पत्र के समस्त आवेदको की प्रमाणित प्रति।
2. दिनांक 4.11.2020 को उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा जारी किये गये अन्य पिछडा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र के समस्त आवेदको द्वारा प्रस्तुत ऑन लाईन आवेदन के साथ संलग्न अपलोड किये गये दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति।
3. अन्य पिछडा वर्ग ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दिशा निर्देशो एवं जॉच बिन्दुओं जिनके आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हैं कि प्रमाणित प्रति।
4. दिनांक 4.11.2020 को उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा जारी किये गये अन्य पिछडा वर्ग, ओबीसी के समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0 को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक / सूकाअ / 2023 / 1649 दिनांक 07.07.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 पर चाही गयी सूचना ऑन लाईन पोर्टल पर होने के कारण उक्त रिकार्ड का ऑफ लाईन रिकार्ड संधारित नही होने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी जा सकती है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 720 दिनांक 29.03.2023 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतःअपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 04.03.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 से चाही गयी सूचना ऑन लाईन पोर्टल पर है। इसलिए चाही गयी सूचना से [illegible] रिकार्ड ऑफलाईन संधारित नही होने के कारण सूचना उपलब्ध [illegible] है जिसके संबंध मे लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को नियत समयावधि में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका था। ऐसी स्थिति में अपील [illegible] जाती है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:38:31 IST
Reason: SelfAttested